भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1263

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : जैविक कृषि

1263. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः

श्री बैजयंत पांडाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में जैविक कृषि तथा यूरिया, डीजल एग्जॉस्ट फ्लुइड और उर्वरकों के बदले जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए परियोजनाएं/योजनाएं शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार देश भर में विशेषकर बिहार में जैविक कृषि को अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) जैविक कृषि हेतु अवसंरचना विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या तरकार किसानों को जैविक पद्धतियों और सतत फसल की खेती के संबंध में शिक्षित करने के लिए जागरुकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और विशेष रूप से ओडिशा में जिलावार ब्यौरा क्या है, और

(च) क्या सरकार किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों को जैविक कृषि के माध्यम से खरीदने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं/योजनाएं शुरू की हैं। बिहार और ओडिशा (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को सहयोग दिया जा रहा है।

पीकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डेटा प्रबंधन, भागीदारी गारंटी प्रणाली-भारत प्रमाणन, मूल्य संवर्धन, विपणन और प्रचार जैसे विभिन्न घटकों को कवर करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठन के निर्माण, जैविक आदानों, गुणवत्ता वाले बीज/रोपण सामग्री और प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग और प्रमाणन के लिए किसानों को सहायता के लिए 3 वर्ष हेतु 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता योजना के तहत किसानों को गैर-खेत/खेत पर जैविक आदानों के लिए प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये और रोपण सामग्री के लिए 17,500 रुपये शामिल हैं।

जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) की गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) योजना के तहत संयंत्रों में उत्पादित जैविक उर्वरकों, जैसे कि किण्वित जैविक खाद/तरल किण्वित जैविक खाद/फॉस्फेट युक्त जैविक खाद (एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम) को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) का सहयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) तथा गाजियाबाद, नागपुर, बैंगलोर, इंफाल और भुवनेश्वर स्थित इसके क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (आरसीओएनएफ) जैविक एवं जैव-उर्वरकों के उत्पादन एवं उपयोग पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑनलाइन जागरूकता अभियान आयोजित कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कृषि विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करता है।

पीकेवीवाई (बिहार एवं ओडिशा सहित) तथा एमओवीसीडीएनईआर के तहत किसानों को प्रशिक्षण सहित वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि जैविक गलियारा योजना के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विभिन्न पहल, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। जैविक गलियारा योजना के तहत किसानों को तीन वर्ष की अवधि में 24,500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चरण-I में 21,119 किसानों और चरण-II में 20,273 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत प्रशिक्षित जिलावार/चरणवार किसानों की संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) में जैविक खेती के लिए अवसंरचना भी शामिल है। इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट के साथ ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) और नाबार्ड संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (एनएबी संरक्षण) के तहत ऋण गारंटी कवरेज दिया जाएगा।

(ङ): ओडिशा सरकार ने सूचित किया है कि स्वदेशी जैविक किसानों और आधुनिक कृषि शोधकर्ताओं के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान कार्यक्रमों की सुविधा के लिए पीकेवीवाई के तहत विभिन्न प्रदर्शन, प्रदर्शन यात्रा कार्यक्रम, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आदि आयोजित किए जाते हैं। ओडिशा में पीकेवीवाई के तहत क्षेत्र कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन यात्रा प्रशिक्षण सहित जिलावार क्लस्टर गठन और क्षमता निर्माण की जानकारी **अनुबंध-II** में दी गई है।

(च): सरकार पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत प्रमाणन आदि के माध्यम से प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन सहायता प्रदान कर रही है। सरकार ने किसानों द्वारा उपभोक्ताओं को जैविक उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए ऑनलाइन विपणन मंच के रूप में वेब पोर्टल- www.jaivikkheti.in/ विकसित किया है, ताकि उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद मिल सके। 6.22 लाख किसानों ने जैविक खेती पोर्टल के तहत पंजीकरण कराया है।

अनुबंध -I

वर्ष 2022-23 से पीकेवीवाई (बिहार और ओडिशा सहित) और एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण सहित वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(लाखों रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
		जारी	**जारी**	**जारी (दिनांक 05.02.2025 तक)**
पीकेवीवाई				
1	आंध्र प्रदेश	-	970.00	2099.00
2	**बिहार**	**1547.68**	**402.00**	**312.00**
3	छत्तीसगढ	-	1892.50	1188.00
4	गुजरात	-	196.00	282.00
5	गोवा	-	250.00	70.50
6	झारखंड	-	163.00	399.00
7	कर्नाटक	512.55	2803.00	974.00
8	केरल	1712.07	71.00	392.00
9	मध्य प्रदेश	0.00	33.00	1250.00
10	महाराष्ट्र	449.67	1681.00	1256.00
11	**ओडिशा**	**370.72**	**791.00**	**373.50**
12	पंजाब	-	-	278.50
13	राजस्थान	1783.26	800.00	750.00
14	तमिलनाडु	-	1564.00	1620.00
15	तेलंगाना	-	-	212.00
16	उत्तर प्रदेश	5089.32	5881.00	4500.00
17	पश्चिम बंगाल	555.39	1717.00	1120.75
18	हिमाचल प्रदेश	-	124.00	746.00
19	उत्तराखंड	5969.00	767.00	2305.00
20	सभी राज्य क्षेत्र	193.55	380.02	2305.00
	कुल	**18183.20**	**20485.70**	**20463.75**
एमओवीसीएनडीईआर				
क्रमांक	**राज्य का नाम**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
		जारी	**जारी**	**जारी** (दिनांक 05.02.2025 तक)
1	असम	2059.15	3684.91	2031.00
2	मणिपुर	2915.36	2805.38	1977.00
3	मेघालय	621.57	2465.40	2343.00
4	नागालैंड	1390.60	2346.10	1735.00
5	मिजोरम	1140.90	2336.16	2380.00
6	अरुणाचल प्रदेश	1642.17	2574.75	988.00
7	सिक्किम	1538.83	3260.69	1219.00
8	त्रिपुरा	3000.26	3370.04	2266.00
	कुल	**14308.84**	**22843.43**	**14939.00**

अनुबन्ध -II

बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जिलावार/चरणवार प्रशिक्षित किसान

क्रमांक	जिला	जैविक कॉरीडोर योजना	
		चरण-I (2019-20 से 2021-22)	चरण-I (2019-20 से 2021-22)
1	बेगूसराय	1789	2226
2	भागलपुर	2028	1168
3	भोजपुर	1072	1782
4	बक्सर	977	1478
5	कटिहार	888	1367
6	खगरिया	998	579
7	लखीसराय	1629	503
8	मुंगेर	771	495
9	पटना	1430	1857
10	समस्तीपुर	3425	2016
11	सारण	1462	2147
12	वैशाली	2156	2538
13	नालन्दा	2494	2117
कुल		**21119**	**20273**

वर्ष 2024-25 के दौरान ओडिशा में पीकेवीवाई के तहत क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के एक्सपोजर विजिट प्रशिक्षण सहित जिलावार क्लस्टर गठन और क्षमता निर्माण (दिनांक 05.02.2025 तक)

क्रमांक	जिला	क्षेत्र	जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 सं/ 500 हेक्टेयर	क्लस्टरों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण - 25 सं/ 500 हेक्टेयर
1	मयूरभंज	2000	100	100
2	कंधमाल	2000	100	100
3	क्योंझर	1000	50	50
4	कोरापुट	1500	75	75
कुल		**6500**	**325**	**325**

*****